न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 49/2022

अनवान :

1. रामस्वरूप पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी घोटड़ापट्टा त0 भादरा।

:— **वादी**

ब ना म

1. मनफुल उर्फ फुला पुत्र धोकल जाति जाट निवासी घोटड़ापट्टा त0 भादरा।
2. बलराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी घोटड़ापट्टा त0 भादरा।
3. महावीर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी घोटड़ापट्टा त0 भादरा।
4. कृष्णकुमार पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी घोटड़ापट्टा त0 भादरा।
5. रामचन्द्र पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी घोटड़ापट्टा त0 भादरा।
6. गुड्डी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी घोटड़ापट्टा त0 भादरा।
7. सुमित्रा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी घोटड़ापट्टा त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बावत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री ताराचन्द मोठसरा : **वादी**

वकील श्री दलीप सहु : **प्रतिवादीगण**

दिनांक : 20.5.2022

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घोटड़ापट्टा के खाता सं0 58/2 के खसरा संख्या 105 की 5.2100है0, खसरा सं0 33 की 2.7320है0, कुल 7.9420है0 बारानी प्रतिवादी सं0 1 मनफुल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही मौजा किकराली के खाता सं0 73/69 के खसरा सं0 168/1 की 3.7560है0 बारानी, खसरा सं0 183 की 8.2710है0 बारानी कुल 12.0270है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 फुला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता धोकल की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मनफुल उर्फ फुला ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी मे रामस्वरूप पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी घोटडापट्टा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही घोटडापट्टा संवत 2074-77 खाता सं0 58 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही किकराली संवत 2073-76 खाता सं0 73 प्रदर्श 2, पैतृक जमाबंदी किकराली संवत 2029-38 प्रदर्श 3, पैतृक जमाबंदी घोटडापट्टा संवत 2020 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कुंजी प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने घोटडापट्टा व किकराली के राजस्व रिकाड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हको की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमावदी व वारिसा प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में वारिस प्रमाण पत्र में पाच पुत्र रामस्वरूप, वलराम, महावीर, कृष्ण कुमार, रामचन्द्र तथा दो पुत्रिया गुड्डी व सुमित्रा के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा घोटडापट्टा के खाता सं0 58/2 के खसरा संख्या 105 की 5.2100है0, खसरा सं0 33 की 2.7320है0, कुल 7.9420है0 बारानी प्रतिवादी सं0 1 मनफुल के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है व रोही मौजा किकराली के खाता सं0 73/69 के खसरा सं0 168/1 की 3.7560है0 बारानी, खसरा स0 183 की 8.2710है0 बारानी कुल 12.0270है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 फुला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 मनफुल उर्फ फुला का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटडापट्टा के खाता सं0 58/2 के खसरा संख्या 105 की 5.2100है0, खसरा सं0 33 की 2.7320है0, कुल 7.9420है0 बारानी व रोही मौजा किकराली के खाता सं0 73/69 के खसरा सं0 168/1 की 3.7560है0 बारानी, खसरा सं0 183 की 8.2710है0 बारानी कुल 12.0270है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मनफुल उर्फ फुला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मनफुल उर्फ फुला का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामस्वरूप,

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 मनफुल उर्फ फुला, प्रतिवादी सं0 2 वलराम, प्रतिवादी सं0 3 महावीर, प्रतिवादी सं0 4 कृष्णकुमार, प्रतिवादी सं0 5 रामचन्द्र को वहिस्सा वरावर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 6 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.5.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 49/2022

उनवान :

1. रामस्वरूप पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी घोटडापट्टा त0 भादरा।

:— वादी

ब नाम

1. मनफुल उर्फ फुला पुत्र धोकल जाति जाट निवासी घोटडापट्टा त0 भादरा।
2. बलराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी घोटडापट्टा त0 भादरा।
3. महावीर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी घोटडापट्टा त0 भादरा।
4. कृष्णकुमार पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी घोटडापट्टा त0 भादरा।
5. रामचन्द्र पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी घोटडापट्टा त0 भादरा।
6. गुड्डी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी घोटडापट्टा त0 भादरा।
7. सुमित्रा पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी घोटडापट्टा त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), भादरा।

:— प्रतिवादीगण

उपस्थिति : वकील श्री ताराचन्द मोठसरा : वादी

वकील श्री दलीप सहु : प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री ताराचन्द मोठसरा एव वकील प्रतिवादीगण श्री दलीप सहु की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एव वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता हैं तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटडापट्टा के खाता सं0 58/2 के खसरा सख्या 105 की 5.2100है0, खसरा स0 33 की 2.7320है0, कुल 7.9420है0 बारानी व रोही मौजा किकराली के खाता सं0 73/69 के खसरा सं0 168/1 की 3.7560है0 बारानी, खसरा स0 183 की 8.2710है0 बारानी कुल 12.0270है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मनफुल उर्फ फुला के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मनफुल उर्फ फुला का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामस्वरूप, प्रतिवादी सं0 1 मनफुल उर्फ फुला, प्रतिवादी सं0 2 बलराम, प्रतिवादी स0 3 महावीर, प्रतिवादी सं0 4 कृष्णकुमार, प्रतिवादी स0 5 रामचन्द्र को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 6 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.5.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

1|

Scanned with CamScanner